न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 132/2022

1. भरत पुत्र श्री बाबूलाल जाति बैरवा आयु 26 वर्ष निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
2. गोविन्द पुत्र श्री बाबूलाल जाति बैरवा आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति बैरवा निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
3. श्रीमान उप पंजीयक किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता

आदेश

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का पिता है। उपरोक्त प्रार्थीगण के दादा का नाम सूरजमल पुत्र भींवाराम एवं प्रार्थीगण की दादी का नाम गीता देवी पत्नि सूरजमल है। प्रार्थीगण के दादा-दादी दोनो का देहावसान हो चुका है। प्रार्थीगण के दादा सूरजमल पुत्र भींवाराम ग्राम बान्दरसिन्दरी के खसरा संख्या 153 कुल रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 878 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार काबिज काश्तकार थे एवं प्रार्थीगण के दादा के देहावसान पश्चात उनके अधिकार खातेदारी की भूमि के विरासत का नामान्तरण प्रार्थीगण की दादी श्रीमती गीता व अप्रार्थीगण के पिता बाबूलाल के नाम दर्ज किया गया था। प्रार्थीगण के पिता ने प्रार्थीगण की दादी श्रीमती गीता देवी के जीवनकाल में अपनी अवांच्छनीय आवश्यकतो के रहते हुये खसरा संख्या 153 जिसका कुल रकाबा 17 बीघा 10 बिस्वा था में से 1/2 हिस्सा खसरा संख्या 2414/153 स्वयं के नाम पृथक कायम कर उसे खुर्द बुर्द कर चुके है। प्रार्थीगण की दादी उपरोक्त गीता देवी का दिनांक 02.06.2022 को देहावसान हो चुका है तथा प्रार्थीगण की दादी ने अपने जीवनकाल में ही यह परिवारजन के समक्ष मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर दिया था कि अप्रार्थी संख्या 1 पारिवारिक पुश्तैनी सम्पत्ति मे अपने हिस्से से अधिक भूमि को खुद बुर्द कर चुका है इस कारण शेष बची हुई निम्न भूमि जो मृतक सूरजमल पुत्र भीवाराम के

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.10 15:15:31 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार मिलकीयत की होकर विरासत प्राप्त हुई है में अप्रार्थी संख्या 1 का कोई हिस्सा नही रहेगा तथा अप्रार्थी संख्या 1 भी बाबत् गीता देवी के जीवनकाल में अभिव्यक्ति पर सहमत रहा था किन्तु प्रार्थीगण की दादी श्रीमती गीता देवी का देहावसान होने से अप्रार्थी संख्या 1 निम्न भूमि को खुर्द बुर्द करने में उद्दत हो रहा है:–

विवरण भूमि

(अ)

खसरा संख्या	रकबा	किस्म
153	1.4158 हैक्टेयर	बंजर 1
कुल खसरा 1	कुल रकबा 1.4158 हैक्टेयर	

(ब)

खसरा संख्या	रकबा	किस्म
878	0.2670 हैक्टेयर	बंजर 1
कुल खसरा 1	कुल रकबा 0.2670 हैक्टेयर	

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभावी प्रावधानों अनुसार सहदायगी की वंशावली निम्नानुसार होती है।

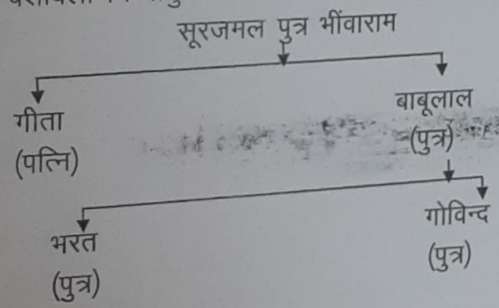

प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 2 में वर्णित उपरोक्त सूरजमल के अधिकार मिलकीयत खातेदारी की खसरा संख्या 153 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 858 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा इस प्रकार 19 बीघा 03 थी जिसके वर्णित वंशावली अनुसार 3 हिस्सेदार बनते है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 6 बीघा 7 बिस्वा 13 बिस्वांसी प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 6 बीघा 7 बिस्वा 13 बिस्वांसी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 6 बीघा 7 बिस्वा 14 बिस्वांसी कायम होता है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 बाबूलाल उपरौक्त पुश्तैनी भूमि में खसरा संख्या 2414/153 रकबा 1.4158 हैक्टेयर अर्थात् 8 बीघा 15 बिस्वा व प्राप्त कर चुके है। इस प्रकार शेष बची हुई भूमि खसर संख्या 153 रकबा 1.4158 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 878 रकबा 0.2670 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 का उपरोक्तानुसार हिस्सा नही रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 7 वर्णितानुसार उपरोक्त पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 153 रकबा 1.4158 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 878 रकबा 0.2670 हैक्टेयर में कोई हिस्सा नही रखता है क्योकि वर्णित सहदायगी वंशावली में जो पुश्तैनी भूमि थी में अप्रार्थी संख्या 1 का 6 बीघा

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.10 15:15:31 IST
Reason: SelfAttested

7 बिस्वा 14 बिस्वांसी हिस्सा बनता था वह उसके मुकाबले में 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 2414/153 के रूप में प्राप्त कर चुका है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त गीता देवी पत्नि सूरजमल के देहावसान पश्चात उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् 15.07.2022 को आग्रह किया तो वह प्रार्थीगण से आमादा फसाद हाकर उसने प्रार्थीगण को धमकी दी कि वह प्रार्थीगण के उपरोक्त हिस्से की भूमि को वह औने–पौने दामों में खुर्द बुर्द कर उक्त राशि का उपयोग स्वयं के अनैतिक अव्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थी संख्या 1 को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया कि प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 5 में वर्णित कृषि भूमि को अन्तरित दान, बैचान, बय बख्शीस नही करें, खुर्द बुर्द नही करे, भारग्रस्त नही करे मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तो अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त प्रार्थीगण के अधिकार की भूमि को अपनी अवांछनीय आवश्कताओ के रहते हुये अन्य को खुर्द बुर्द कर देगे जिससे प्रार्थीगण को अधिक कठिनाई होगी एवं वाद बाहुल्यता का विस्तार होगा एवं यदि अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई कठिनाई नही होगी। अतः प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 उसके हितबद्ध प्रतिनिधि असाईनिस एजेन्ट को वाद गुणानुगुण निस्तारण हक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 5 में वर्णित ग्राम बान्दरसिन्दरी स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 153 रकबा 1.4158 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के उपयोग, उपभोग काश्त कार्यो में बाधा नही करे, उपरोक्त भूमि को अन्तरित दान, बैचान, बय, बख्शीस नही करे, खुर्दबुर्द नही करें, भारग्रस्त नही करे मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 1 विरूद्ध पारित की जावें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 04.10.2023 को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी संख्या की तलबी होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित रहे जिसके कारण दिनांक 11.10.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई तथा दिनांक 04.12.2024 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 04.12.2024 को अप्रार्थी संख्या 02, 03 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई । दिनांक 04.12.2024 को वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में मौजूद जमाबन्दी सम्वत 2068–71 से ताईद है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बांदरसिंदरी स्थित भूमि खसरा संख्या 153, 878, 2414/153 पैतृक भूमि है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधि. के तहत प्रार्थीगण का उक्त भूमि में हिस्सा निहित है।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि पैतृक भूमि है जिसमे हिन्दु उत्तराधिकार अधि. के तहत प्रार्थीगण का उक्त भूमि में हिस्सा निहित है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि पर प्रार्थी पैतृकता के आधार पर [illegible] सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.10 15:15:31 IST
Reason: SelfAttested

अपूरणीय क्षतिः– यदि अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया और अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौके में परिवर्तन कर दिया गया तो अपूरणिय क्षति प्रार्थी को कारित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बांदरसिंदरी स्थित भूमि खसरा संख्या 153, 878 में प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें तथा वादअधीन भूमि में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 4/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.10 15:15:31 IST
Reason: SelfAttested